
	कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पीछे	
	क्रमांक:- एफ-130 ACTP / जननिहैरि / 2021 / 13	दिनांक :- 15-01-2020

कार्यालय आदेश

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक एफ.59एस.टी.पी/डी.एल.बी/मॉ. रा.भ.वि.-2020(1205)/20/1678-80 दिनांक 27/11/2020 द्वारा मॉडल भवन विनियम 2020 शीघ्र लागू करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीज़न भवन) भवन विनियम 2020 दिनांक 07/01/2020 को जयपुर रीज़न (चारदीवारी के अलावा) क्षेत्र हेतु अधिसूचित किये जा चुके हैं। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीज़न भवन) भवन विनियम 2020 तुरंत प्रभाव से नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र (चारदीवारी क्षेत्र को छोड़कर) में लागू किये जाते हैं।


 (लोकबन्धु)आई.ए.एस
 आयुक्त
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

क्रमांक:- एफ-130 अति.मु.नं.नि/जननिहैरि/2021/13

दिनांक :- 15-01-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजि सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक विधि, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
8. उपायुक्त (आयोजना), नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
9. समस्त ज़ोन उपायुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
10. जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
11. गार्ड फाईल व अन्य।

kon

आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।